Shashank Shekhar Sinha
President
Mob. No.-9334118192

Sunil Kumar Tiwary
General Secretary
Mob. No.- 9431085120

Memo No. 49 Date 19/06/2022

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
बिहार, पटना ।

विषयः- बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन की बैठक में श्री आलोक कुमार (41वीं बैच), उप सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार सरकार, पटना के ऊपर दर्ज प्राथमिकी को वापस लेने एवं अविलम्ब रिहा करने के संबंध में ।

महाशय,

उक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक- 19.06.2022 को अपराह्न में बापू सभागार, पटना में बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन की प्रथम केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक आहुत की गई उक्त बैठक में EOPS Case Number – 24/17-06-2022 के आधार पर श्री आलोक कुमार 41वीं बैच उप सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को IPC की धारा 153ए एवं आई.टी. एक्ट की धारा 66 के तहत गिरफ्तार किये जाने के बिन्दु पर उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा विशेष रूप से विमर्श किया गया ।

बैठक के क्रम में श्री आलोक कुमार के दोनों भाइयों एवं उनके पुत्र द्वारा घटनाक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई । उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक- 16.06.2022 को अर्ध रात्रि करीब दो बजे दो सिपाही उनके घर आये एवं उनके पिताजी को खोज रहे थे । भयवश परिवार के लोगों द्वारा दरवाजा नहीं खोला गया । पुनः दिनांक- 17.06.2022 को उनके पिताजी निर्वाचन कार्यालय गये तो सचिवालय थाना के थाना प्रभारी श्री सी.पी.एम. गुप्ता द्वारा उनके पास जाकर उनके निजी मोबाईल की माँग की गई । बिना कोई सर्च वारंट के इस कृत्य पर उनके द्वारा आपत्ति की गई । सचिवालय थाना प्रभारी द्वारा उनके मोबाईल को जब्त कर लिया गया । उसी दिन संध्या छह से सात के बीच थानाध्यक्ष द्वारा मोबाईल वापस करने हेतु उन्हें थाना बुलाया गया परंतु दो

19/6/22

जाँच हेतु लोकनायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल, शास्त्रीनगर ले जाया गया । हृदय रोग से ग्रसित तथा पेशमेकर लगे होने के कारण शारीरिक रूप से फीट नहीं होने के कारण पिछले 60 घंटे से अधिक समय से उन्हें पुलिस हिरासत में रखा गया जो कि संविधान के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन है ।

बासा की बैठक में संपूर्ण घटनाचक्र की समीक्षा तथा प्राथमिकी के अवलोकनोपरांत यह पाया गया कि श्री आलोक कुमार ने **''टीम बासा''**, जो बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के पदाधिकारियों का समूह है, जिसमें एक कार्टून पोस्ट किया गया था जिसमें किसी धर्म के आराध्य का कोई उल्लेख नहीं था । इस पोस्ट से इसी ग्रुप के किसी सदस्य की भावना आहत हुई यह प्राथमिकी के अवलोकन से प्रतीत नहीं होता है क्योंकि प्राथमिकी में सूचक वरीय स्तर के पदाधिकारी हैं । श्री आलोक कुमार द्वारा किया गया पोस्ट उनके द्वारा तत्काल हटा भी लिया गया था । प्रश्न यह उठता है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी के ग्रुप का तथाकथित आपत्तिजनक पोस्ट से अगर किसी को कोई शिकायत थी तो उस व्यक्ति को स्वयं थाना में जाकर श्री आलोक कुमार के खिलाफ शिकायत की जानी चाहिये थी । प्राथमिकी किये जाने में वरीय पदाधिकारी की सूचना दर्शाया गया है । राज्य के प्रशासनिक पदानुक्रम के वरीयतम पदाधिकारी जिनका इसमें नाम आ रहा है, द्वारा विशेष अभिरूचि लेकर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत शिकायतकर्त्ता का बयान दर्ज कराये बिना एवं अनुसंधान तथा पदाधिकारी से बिना किसी स्पष्टीकरण के श्री आलोक कुमार जो कि अपराधी एवं आतंकवादी नहीं हैं उन्हें गिरफ्तार किये जाने की घटना काफी दुखद है । बासा के सभी सदस्य एवं उनके परिवार के लोग सरकार के प्रशासनिक पदानुक्रम के वरीयतम पदाधिकारी द्वारा विद्वेष की भावना से ग्रसित होकर किये गये इस कृत्य से आहत हैं एवं इसकी पुरजोर निंदा करते हैं । संघ के सभी सदस्य माननीय मुख्यमंत्री जी से निम्न माँग करते हैं:-

1. नियम के विरूद्ध बिना अनुसंधान के दायर किये गये प्राथमिकी को वापस लिया जाय तथा गिरफ्तार श्री आलोक कुमार को अविलंब रिहा किया जाय ।
2. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने न्यायादेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि सी.आर.पी. सी. की धारा- 41 A के तहत जिन मामलों में सात वर्ष से कम सजा का प्रावधान है उन मामलों में बिना नोटिस दिये कोई कार्रवाई नहीं करनी है जबकि श्री आलोक कुमार के साथ ऐसा नहीं किया गया । दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई की जाय ।
3. जब **''व्हाट्स ऐप ग्रुप''** बासा सदस्यों का आंतरिक ग्रुप है एवं श्री आलोक कुमार के पोस्ट से किसी सदस्य की भावना आहत हुई तो शिकायतकर्त्ता सरकार के प्रशासनिक पदानुक्रम के वरीयतम पदाधिकारी कैसे हो गये ? उनकी अभिरूचि इस पोस्ट पर क्यों इतनी जगी । संघ प्रशासनिक पदानुक्रम के वरीयतम पदाधिकारी के इस कार्य को सरकारी सेवक के आचरण के विरूद्ध तथा क्षेत्रधिकार से बाहर मानता है तथा संघ इस कृत्य की निंदा करता है । साथ ही, संघ उक्त वरीयतम पदाधिकारी के नाम की खुलासा की भी माँग करती है ।

19/6/22

4. संघ के सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस कृत्य के विरूद्ध विरोध दर्ज करने के लिए बिहार प्रशासनिक सेवा के सभी पदाधिकारीगण दिनांक-20.06.2022 को **''काला बिल्ला''** लगाकर सरकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे ।

अतः माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि संपूर्ण घटनाचक्र को देखते हुए अविलंब श्री आलोक कुमार, उप सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार को रिहा कराया जाय एवं इस संपूर्ण घटनाचक्र के लिए जो भी पदाधिकारी जिम्मेवार हैं उन पर कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन,

14/06/22

(सुनील कुमार तिवारी)
महासचिव

ज्ञापांक- दिनांक-

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार तथा पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

14/06/22

(सुनील कुमार तिवारी)
महासचिव

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक,
आर्थिक अपराध इकाई,
बिहार, पटना।

विषयः– **Whatsapp पोस्ट के माध्यम से मुस्लिम संप्रदाय के लोगों की धार्मिक भावना को आहत करने एवं समाज में कटूता फैलाने के संबंध में।**

महाशय,

सादर सूचित करना है कि वरीय स्तर से सूचना प्राप्त हुई कि Mobile NO.-8825128848 के धारक द्वारा सांप्रदायिक दृष्टिकोण से संवेदनशील एवं मुस्लिम समुदाय के भावना को ठेस पहुँचाने वाला पोस्ट Whatsapp group पर किया जा रहा है, जिससे संप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का डर है एवं दंगा फैलने की पूरी संभावना है। तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए उक्त पोस्ट एवं Whatsapp नम्बर से फैलाये गये आपत्तिजनक पोस्ट का प्रिन्ट प्राप्त करते हुए इस संबंध में अग्रतर जाँच हेतु मुझे आदेश प्राप्त हुआ है। प्राप्त आदेश के आलोक में उक्त आपत्तिजनक पोस्ट के प्रिन्टआउट का अवलोकन किया, जिसमें पाया कि बच्चों के एक ट्राली पर एक बच्ची को बिठाकर एक मुस्लिम बुजूर्ग व्यक्ति रोड पर घुमा रहा है। उसी क्रम में एक अन्य व्यक्ति द्वारा प्रश्न किया जाता है "पोती है" तब ट्राली को धक्का दे रहे मुस्लिम व्यक्ति द्वारा जवाब दिया जा रहा है "नहीं मेरी नई बीवी" । वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस तरह के पोस्ट से सांप्रदायिक उन्माद, दंगा फैलाने का प्रयास किया गया है। उक्त पोस्ट में दिए गए Mobile NO.-8825128848 के धारक का नाम–पता(CAF) संबंधित कंपनी से प्राप्त किया गया, जिसका ब्यौरा निम्न है:–

Customer Name Alok Kumar, Father Name- Priyabrat Narayan Sinha,
Local residential Address-130,Circular Road, BarmasiaSaket Bihar, ward No02 Deoghar,Deoghar Deoghar Jharkhand 814112
Permanent residential Address- 130,Circular Road, BarmasiaSaket Bihar, ward No02 Deoghar,Deoghar Deoghar Jharkhand 814112

प्रारंभिक जाँच में मोबाईल नम्बर 8825128848 का आज समय करीब 10:00 बजे टावर लोकेशन का सेल आई0डी0–4058560106B19 जिसका पता यारपुर खगौल रोड, भिखारी ठाकुर ओवरब्रीज के नजदीक जी0पी0ओ0 थाना–गर्दनीबाग, जिला–पटना बिहार पाया गया। जाँच के क्रम में यह बात प्रकाश में आई कि आलोक कुमार, बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी है एवं वर्तमान में निर्वाचन विभाग, पटना में उप–सचिव के पद पर पदस्थापित है।

मोबाईल नं0–8825128848 के धारक के द्वारा आपत्तिजनक Whatsapp Post के माध्यम से सांप्रदायिक उन्माद, दंगा फैलाने, समाजिक सौहार्द बिगाड़ना एक संज्ञेय अपराध है।

अतः मोबाईल नं0–8825128848 के धारक को धारा–153A भा0द0वि0 एवं 66 आई0टी0 एक्ट, 2000 के अन्तर्गत आरोपित करता हूँ।

विश्वासभाजन,
(signature) 17/6/22
पु0नि0 अनुज कुमार सिंह
आर्थिक अपराध इकाई,
बिहार, पटना।

Registered E.O.P.S. Case No. 24/2022 dt. 17.06.22 u/s 153 A I.P.C. & 66 I.T. Act, 2000 (as amended 2008). Insp. Dharmendra Kumar Single will pl. investigate the case.

(signature)
17.06.22
DySP cum SHO
E.O.P.S., Bihar
Patna.

पोती है

नहीं मेरी नई बीवी